नम्बर 141/4 रकबा 7.1920 व खसरा नम्बर 151/5 रकबा 2.5888 भूमि के संबंध में पुनः सिरे से पक्षकारान के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउण्डस (By mets and bounds) विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार सिणधरी को 1500/शुल्क पर कमीश्नर मुकर्रर किया जाता है,कमीश्नर शुल्क वादी मौके पर अदा करेगे। विभाजन प्रस्ताव दोनो पक्षो को पूर्व में जरिये पत्र या नोटिस के सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल नियम 18 से 21) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें।। [redacted]

अतः वास्ते विभाजन प्रस्ताव इंजतार आइन्दा 14.02.2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
SDO सिणधरी

14.2.24 पत्रावली पेश हुई
वादी वकील उप.।
विभाजन प्रस्ताव अप्राप्त। अतः इंतजार प्रस्ताव पत्रावली
आइन्दा 13-3-24 को पेश हो।

13.3.24 वकील वादी / प्रार्थी उपस्थित । पीठासीन
अधिकारी महो. अवकाश प्रस्थान पर है।
पत्रावली वास्ते विभाजन प्रस्ताव इंतजार
दिनांक 22.5.24 को पेश हो।

22.5.24 पत्रावली पेश हुई
वादी वकील उप.।
विभाजन प्रस्ताव अप्राप्त। अतः इंतजार प्रस्ताव
पत्रावली आइन्दा 03.07.2024 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:08:03 IST
Reason: SelfAttested

3.7.24 वकील वादी / प्रार्थी उपस्थित । पीठासीन
अधिकारी [illegible] कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली वास्ते विभाजन प्रस्ताव इंतजार
दिनांक 24.7.24 को पेश हो।

२४-७-२४ पत्रावली पेश हुई
वादी वकील उप.।
विभाजन प्रस्ताव अप्राप्त अतः इंतजार
पत्रावली आइन्दा 22.8.24 को पेश हो

SDO सिणधरी

22.8.24

पत्रावली पेश हुई।
वादी वकील उपस्थित।
विभाजन प्रस्ताव अप्राप्त। अतः इंतजार होकर पत्रावली आइन्दा 29.10.24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

28.10.24 पत्रावली पेश हुई
वादी वकील उपस्थित।
विभाजन प्रस्ताव अप्राप्त। अतः इंतजार होकर
पत्रावली आइन्दा 18.12.24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

18.12.2024

पत्रावली पेश हुई।

वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी स्वयं उप.।

न्यायालय आदेश की पालना में तलब किये गये [illegible] रिपोर्ट तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त हुई, जो [illegible] प्रस्ताव की पालना की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड व [illegible] करते हुए उभयपक्ष विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त रिपोर्ट का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवचेन किया गया। चूंकि वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के जरिये पक्षकारान के मध्य खातेदारी घोषणा बाद विभाजन हेतु माननीय राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर से जरिये रिमाण्ड प्रकरण में नये सिरे से पक्षकारान के वर्तमान कब्जा काश्त रहवासी ढाणियों/टांके इत्यादि के अनुरूप विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। चुंकि मौके पर उपस्थित पक्षकारान द्वारा अपने विभाजन को लेकर एतराज जताते हुए सीमाज्ञान तथा उसके बाद नेखमबंदी करवाने के पश्चात् विभाजन किये जाने का उल्लेख किया है, ऐसी स्थिति में वर्तमान में उभयपक्ष अपने खातेदारी खेत के

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:08:03 IST
Reason: SelfAttested

विभाजन को लेकर रिमाण्ड प्रकरण में विभाजन नहीं करवाना चाहते है। जहां तक रिमाण्ड प्रकरण में न्यायालय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.1991 को अपास्त किये जाने को लेकर माननीय राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के निर्णय दिनांक 06.12.2023 की पालना किये जाने का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में अपील न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में उभयपक्ष की पुनः सुनवाई बाद बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव पर गुणावगुण के जरिये विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने के निर्देश प्रदान किये है। अब चूंकि पक्षकारान अने खातेदारी खेतं के मूल खसरा नम्बर के संबंध में पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार करने को तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति में अदालत बिना किसी ठोस कारणों के अपना अमूल्य समय पक्षकारान के सहमति के इन्तजार में व्यर्थ जाया नहीं करना चाहती है।

लिहाजा उभयपक्ष अपने विभाजन के वाद में किसी प्रकार की चाराजोही अथवा विभाजन करवाने को तैयार नहीं होने की दशा में वादीगण का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। वादीगण न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.1991 से पूर्व स्थिति की बहाली हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही हेतु विधिक रूप से स्वतंत्र है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:08:03 IST
Reason: SelfAttested